



कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर।



दूरभाष : 0551-2580010, ईमेल-आईडी : ceogida-up@up.gov.in/ceogida@rediffmail.com

पत्रांक 6841 / वित्त-3 कारस्टिक कमेटी / 2025-2026 / दिनांक 25-02-2026
कार्यालय ज्ञाप

गीडा प्राधिकारी की दिनांक 22.01.2026 को सम्पन्न 64वीं बैठक में गीडा क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं के भूखण्डों की दरों के निर्धारण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 64:08 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु संस्तुत दरों का प्रस्ताव प्राधिकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

योजनावार भूखण्डों के अनुमोदित दरों का विवरण निम्नलिखित है जो दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी होगी:-

सहजनवाँ आवासीय योजना एवं विस्तार सेक्टर - 23

आवासीय भूखण्डों के लिए दरें प्रतिवर्ग मीटर (रूपये में)			व्यवसायिक भूखण्ड के लिए दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
श्रेणी	2025-2026 (अनुमोदित दर)	2026-2027 (संस्तुत दर)	श्रेणी	2025-2026 (अनुमोदित दर)	2026-2027 (संस्तुत दर)
A	23700	26100	0 से 500 वर्ग मीटर तक	40400	40400
B	23700	26100	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	38500	38500
C	23700	26100	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	35300	35300
D	20100	22100	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	32300	32300
E	20100	22100	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	30300	30300

नोट :-

- यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- विद्यालय / कालेज के भूखण्डों की दरें शासनकी नवीनतम व्यवस्थानुसार लागू होगी।

न्य गोरखपर आवासीय योजना सेक्टर - 05

आवासीय भूखण्डों के लिए दरें प्रतिवर्ग मीटर (रूपये में)			व्यवसायिक भूखण्ड के लिए दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
श्रेणी	2025-2026 (अनुमोदित दर)	2026-2027 (संस्तुत दर)	श्रेणी	2025-2026 (अनुमोदित दर)	2026-2027 (संस्तुत दर)
A	22500	24800	0 से 500 वर्ग मीटर तक	38100	38100
B	22500	24800	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	36300	36300
C	22500	24800	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	33400	33400
D	18000	19800	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	30400	30400
E	18000	19800	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	28800	28800

नोट :-

- क. यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- घ. विद्यालय/कालेज के भूखण्डों की दरें नवीनतम शासन की नवीनतम व्यवस्थानुसार लागू होगी।

संस्थागत सेक्टर - 7, 9, 11 एवं 23

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
1	0 वर्ग मीटर से 2000 वर्ग मीटर तक	9500	9500
2	2001 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	9200	9200
3	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	8600	8600
4	20001 वर्ग मीटर से 40000 वर्ग मीटर तक	8300	8300
5	40001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	8100	8100
6	80001 वर्ग मीटर से 120000 वर्ग मीटर तक	7500	7500
7	120001 वर्ग मीटर से 200000 वर्ग मीटर तक	7200	7200

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

ग्रुप हाउसिंग

क्रम संख्या	सेक्टर	वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में) दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	एफ०ए०आर०
1	5 एवं 7 हेतु	15600	15600	2.5
2	23 हेतु	16900	16900	2.5

व्यवसायिक

व्यवसायिक योजना (ग्राम कालेसर)सेक्टर -11

सेक्टर	दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में) वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
	48500	48500
	से०-11 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड को ई- निविदा निलामी के आधार पर विक्रय किया जायेगा ।	से०-11 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड को ई- निविदा निलामी के आधार पर विक्रय किया जायेगा ।

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

व्यवसायिक योजना सेक्टर 7, 9, 13, 15, 17 एवं 23

सेक्टर	दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
	श्रेणी	2025-2026 (अनुमोदित)	2026-2027 (संस्तुत दर)

		दर)	
सै० 7 एवं 9 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड (आवासीय योजना सै० 05 के समीप स्थित)	0 से 500 वर्ग मीटर तक	38100	38100
	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	36300	36300
	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	33400	33400
	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	30400	30400
सै० 11 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड (आवासीय योजना सै० 05 के समीप स्थित)	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	28800	28800
	0 से 500 वर्ग मीटर तक	40400	40400
	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	38500	38500
	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	35300	35300
13, 15 एवं 17 के समस्त व्यवसायिक भूखण्ड (आवासीय योजना सै०-23 के समीप स्थित)	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	32300	32300
	अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	30300	30300

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है, तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

औद्योगिक सेक्टर 17

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	7300	7300
2	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	7200	7200
3	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	7100	7100
4	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	6900	6900

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

औद्योगिक सेक्टर 13 एवं 15

क्रम संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	7900	7900
2	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	7850	7850
3	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	7800	7800
4	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	7700	7700

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना सेक्टर संख्या 22 एवं 23

उपयोग	दरें प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)		
	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रूपये में)
ट्रांसपोर्ट एजेन्सी हेतु	---	24900	24900
दुकान, ढाबा, होटल एवं अन्य व्यवसायिक भूखण्डों हेतु	0 से 500 वर्ग मीटर तक	40400	40400
	अगले 501 से 1000 वर्ग मीटर तक	38500	38500
	अगले 1001 से 2000 वर्ग मीटर तक	35300	35300
	अगले 2001 से 4000 वर्ग मीटर तक	32300	32300

तक		
अगले 4001 वर्ग मीटर से अधिक	30300	30300

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।

औद्योगिक सेक्टर 26 (ग्राम भीटी रावत)

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	7900	7900
2	4001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	7400	7400
3	20001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	6900	6900
4	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	6400	6400

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।
 ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
 ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

औद्योगिक सेक्टर 27 व 28 (ग्राम नरकटहा एवं भगवानपुर)

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	6600	6600
2	4001 वर्ग मीटर से 8000 वर्ग मीटर तक	6400	6400
3	8001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	6100	6100
4	20001 वर्ग मीटर से 40000 वर्ग मीटर तक	5700	5700
5	40001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	5300	5300
6	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	4600	4600

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

प्लास्टिक पार्क औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 28 (ग्राम नरकटहा एवं भगवानपुर)

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	5600	5600
2	4001 वर्ग मीटर से 8000 वर्ग मीटर तक	5400	5400
3	8001 वर्गमीटर से 20000वर्गमीटर तक	5100	5100
4	20001 वर्ग मीटर से 40000 वर्ग मीटर तक	4700	4700

नोट :-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

आवासीय योजना (ग्राम कालेसर)सेक्टर -11

आवासीय भूखण्डों की श्रेणी	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	श्रेणीवार भूखण्डों की अनुमोदित दर	
		वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27
A	300	33,500	33,500
B	250	33,500	33,500
C	200	33,500	33,500
D	180	32,500	32,500
E	150	32,500	32,500
F	120	29,500	29,500
G	90	28,000	28,000

नोट:-

- क. यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 05 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड पार्क के सम्मुख एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15% धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।

सेक्टर s-5, औद्योगिक (धुरियापार)

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)
1	0 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक	2900	3200
2	4001 वर्ग मीटर से 8000 वर्ग मीटर तक	2900	3200
3	8001 वर्ग मीटर से 20000 वर्ग मीटर तक	2900	3200

क्र० सं०	श्रेणी	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
		2025-28 हेतु अनुमोदित दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)	2026-27 हेतु संस्तुत दर प्रति वर्ग मीटर (रु० में)
4	20001 वर्ग मीटर से 40000 वर्ग मीटर तक	2900	3200
5	40001 वर्ग मीटर से 80000 वर्ग मीटर तक	2900	3200
6	80001 वर्ग मीटर और उससे अधिक	2900	3200

नोट:-

- क. 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्डों के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।
- ख. यदि भूखण्ड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाये।
- ग. यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 15 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जाय।




(अनुज मलिक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)
सेक्टर-07, गीडा, गोरखपुर।

पत्रांक 6841 / वित्त-3 कास्टिक कमेटी / 2025-2026 / दिनांक 25-02-2026
प्रतिलिपि:- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को अनुपालनार्थ।
2-सहायक महा प्रबन्धक (सम्पत्ति), गीडा को अनुपालनार्थ।
3-सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी, गीडा को अनुपालनार्थ।



(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी